

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 44 / 2023

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. खीमाराम पुत्र विरदाराम
2. नरसींगाराम पुत्र गिरधारीराम
3. अमराराम पुत्र लिछमणाराम
4. जेठाराम पुत्र लिछमणाराम
5. भानाराम पुत्र लिछमणाराम
6. सोनीदेवी पत्निप लिछमणाराम
7. रतनाराम पुत्र फुआराम
8. राणाराम पुत्र फुआराम
जातियान जाट निवासी एड
सिणधरी तहसील सिणधरी
जिला बालोतरा

1. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री पाबुराम बेनिवाल प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक- 11.06.2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 439/324, 440/324, 441/324, 442/324 रकबा कमशः 0.3560, 0.1456, 0.9708, 7.5156 हैक्टेयर कुल रकबा 8.9880 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण संख्या 3 से 6 के खसरा संख्या 466/76, 467/76 रकबा कमशः 0.1294, 17.8061 हैक्टेयर कुल रकबा 17.9355 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण संख्या 7 व 8 के खसरा संख्या कमशः 458/323, 459/323 रकबा कमशः 0.2750, 8.6725 हैक्टेयर कुल रकबा 8.9475 हैक्टेयर ग्राम एड सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। कि उक्त खसरा नम्बरान् मूल खसरा संख्या 76, 323, 324 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। वक्त विभाजन नवसृजित उपरोक्त खसरान की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जाकाश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर प्राथीगण का कब्जा काश्त जिसमें प्राथीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे

उपखण्ड अधिकारी

सिणधरी

दे बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी कि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 439/324, 440/324, 441/324, 442/324 रकबा क्रमशः 0.3560, 0.1456, 0.9708, 7.5156 हैक्टेयर कुल रकबा 8.9880 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण संख्या 3 से 6 के खसरा संख्या 466/76, 467/76 रकबा क्रमशः 0.1294, 17.8061 हैक्टेयर कुल रकबा 17.9355 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण संख्या 7 व 8 के खसरा संख्या क्रमशः 458/323, 459/323 रकबा क्रमशः 0.2750, 8.6725 हैक्टेयर कुल रकबा 8.9475 हैक्टेयर ग्राम एड सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जो कि मूल खसरा संख्या 76, 323, 324 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। वक्त विभाजन नवसृजित उपरोक्त खसरान की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काशत अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जाकाशत के विपरित लट्टा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काशत जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 09.02.2024 में तरमीम दुरुस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लट्टा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करवाने का आदेश फरमावे।

4. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया, कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात एवं मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 439/324, 440/324, 441/324, 442/324 रकबा क्रमशः 0.3560, 0.1456, 0.9708, 7.5156 हैक्टेयर कुल रकबा 8.9880 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण संख्या 3 से 6 के खसरा संख्या 466/76, 467/76 रकबा क्रमशः 0.1294, 17.8061 हैक्टेयर कुल रकबा 17.9355 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण संख्या 7 व 8 के खसरा संख्या क्रमशः 458/323, 459/323 रकबा क्रमशः 0.2750, 8.6725 हैक्टेयर कुल रकबा 8.9475 हैक्टेयर ग्राम एड सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जो कि मूल खसरा संख्या 76, 323, 324 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। वक्त विभाजन नवसृजित उपरोक्त खसरान की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काशत अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जाकाशत के विपरित लट्टा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काशत जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काशत

उपखण्ड अधिकारी

सिणधरी

के विपरित लट्टा नक्शा में तरमीम हो रखी है, जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि

तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 09.02.2024 से होता है, इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काशत से विपरीत तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है, जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काशत के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्त करने की अनुशंसा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काशत के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काशत के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 439/324, 440/324, 441/324, 442/324 रकबा कमश: 0.3560, 0.1456, 0.9708, 7.5156 हैक्टेयर कुल रकबा 8.9880 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण संख्या 3 से 6 के खसरा संख्या 466/76, 467/76 रकबा कमश: 0.1294, 17.8061 हैक्टेयर कुल रकबा 17.9355 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण संख्या 7 व 8 के खसरा संख्या कमश: 458/323, 459/323 रकबा कमश: 0.2750, 8.6725 हैक्टेयर कुल रकबा 8.9475 हैक्टेयर ग्राम एड सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी भूमि की विद्यमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 09.02.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं, उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी का तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11.06.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी